120

निगरानी – 3247/2018/उमरिया/भू०रा

गोरेलाल पिता स्व0 अकाली चौधरी निवासी ग्राम सिगडी
थाना तहसील मानपुर जिला उमरिया म0प्र0 ————निगरानीकर्ता/अनावेदक

बनाम

म0प्र0 शासन ————गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया म0प्र0 प्र0क0—91/स्व0निग0/2015—16 आदेश दिनांक—28.10.2017

15/12/17

मान्यवर

अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश कर निवेदन करते है कि :—

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:—

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्व0 निगरानी/2015—16की इस आशय की पेश की गई नायब तहसीलदार मानपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 404/अ—19(4)/90—91 आदेश दिनांक 28.06.1991 द्वारा अनावेदक अकाली फौत वरिस पुत्र गोरेलाल वगैरह चर्मकार निवासी सिगुडी को ग्राम सिगुडी की आराजी खसरा नं0 1295,1281 रकवा 0.809हे, 0.405हे0 काम0प्र0 ग्रामों की दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वमेव निगरानी पेश की गई उसमें अकाली फौत को अनावेदक के रूप में आराजी का भूमि स्वामी मानते हुए व मृतक अकालीके विरूद्ध स्वमेव निगरानी पेश की गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 अकाली के नाम से कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसे अनावेदक मृतक अकाली के वारिस पुत्र द्वारा नोटिस को प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों को उजागर करते हुए दिनांक 19.12.2016 को जबाव पेश किए कि जो स्वमेव निगरानी अकाली के विरूद्ध पेश की गई है अकाली की मृत्यु वर्ष 2000 में हो गई है हम स्व0 अकाली के वारिस पुत्र अपने स्व0 पिता के नाम से जारी कारण बताओ नोटिस को प्राप्त कर जबाव पेश कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3247/2018/उमरिया/भू.रा. गोरेलाल विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 91/स्व.निग./2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-12-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस	

आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य